(८४)

**राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडेभत्ता देण्याबाबत.**

# महाराष्ट्र शासन

## वित्त विभाग

शासन निर्णय, क्रमांक घभाभ-१०९८/प्र. क्र. ८२/९८/सेवा-५,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ डिसेंबर १९९८.

**पहा.**—(१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेपूर-१२८७/६४३/सेवा-१०, दिनांक २५ एप्रिल १९८८.

(२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक घभाभ-१०९०/प्र. क्र. १०/सेवा-५, दिनांक ५ फेब्रुवारी १९९०.

(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक घभाभ-१०९३/७६/सेवा-५, दिनांक २ सप्टेंबर १९९३.

(४) शासन शुद्धीपत्र, वित्त विभाग, क्रमांक घभाभ-१०९३/प्र. क्र. १६१/सेवा-५, दिनांक ११ डिसेंबर १९९३.

(५) शासन शुद्धीपत्र, वित्त विभाग, क्रमांक घभाभ-१०९५/६१/९५, दिनांक ८ नोव्हेंबर १९९५.

(६) केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक २(३०)/ ९७-ई-II (बी), दिनांक ३ ऑक्टोबर १९९७.

## शासन निर्णय

पाचव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या शहर पूरक भत्ता व घरभाडे भत्त्याच्या दरांमध्ये वर नमूद केलेल्या अनुक्रमांक ६ येथील दिनांक ३ ऑक्टोबर १९९७ च्या आदेशान्वये सुधारणा केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना लागू असलेल्या स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्त्याच्या विद्यमान दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न काही काळ शासनाच्या विचाराधीन होता.

२. शासन आता असा आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना अनुज्ञेय असलेल्या स्थानिक पूरक भत्त्याचे व घरभाडे भत्त्याचे दर **दिनांक १ ऑक्टोबर १९९८ पासून** खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारण्यात यावेत.

तक्ता—एक

### स्थानिक पूरक भत्ता

| अनुक्रमांक | वेतन मर्यादा (मूळवेतन दरमहा) | शहरांच्या वर्गीगरणानुसार स्थानिक पूरक भत्त्याची रक्कम (रुपये दरमहा) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अ-१ | अ | ब-१ | ब-२ |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | रु. ३,००० पेक्षा कमी . . . . | ९० | ६५ | ४५ | २५ |
| २ | रु. ३,००० ते रु. ४,४९९ पर्यंत . . . . | १२५ | ९५ | ६५ | ३५ |
| ३ | रु. ४,५०० ते रु. ५,९९९ पर्यंत . . . . | २०० | १५० | १०० | ६५ |
| ४ | रु. ६,००० व त्याहून अधिक . . . . | ३०० | २४० | १८० | १२० |

**टीप :** स्थानिक पूरक भत्त्याच्या प्रयोजनार्थ राज्यातील शहरे व गावांच्या अ-१, अ, ब-१ आणि ब-२ अशा वर्गीकरणाची यादी या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-एक प्रमाणे राहिल.

H 2122-1

## तक्ता–दोन

## घरभाडे भत्ता

| अनुक्रमांक (१) | शहरांचे/गावांचे वर्गीकरण (२) | घरभाडे भत्त्याचे मासिक दर (३) |
|---|---|---|
| १ | अ-१ | आहरित केलेल्या मूळ वेतनाच्या ३० टक्के |
| २ | अ, ब-१, ब-२ | आहरित केलेल्या मूळ वेतनाच्या १५ टक्के |
| ३ | क | आहरित केलेल्या मूळ वेतनाच्या ७.५ टक्के |
| ४ | अवर्गीकृत | आहरित केलेल्या मूळ वेतनाच्या ५ टक्के |

**टीप :** घरभाडे भत्त्याच्या प्रयोजनार्थ राज्यातील शहरे व गावांच्या अ-१, अ, बं-१, ब-२ आणि क अशा वर्गीकरणाची यादी या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-दोन प्रमाणे राहिल.

३. ज्या शहरे व गावांना तक्ता-१ व तक्ता-२ नुसार विद्यमान (जुन्या) वर्गीकरणाच्या तुलनेत निम्न वर्गीकरण प्राप्त झाले आहे, त्या शहरे व गावांचे विद्यमान वर्गीकरण पुढील आदेश होईपर्यंत कायम राहिल आणि तेथे काम करणारे शासकीय व इतर कर्मचारी हे त्यानुसार स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळण्यास पात्र राहतील, उदाहरणार्थ : केंद्र शासनाने कोल्हापूर व अमरावती या शहरांना स्थानिक पूरक भत्त्याच्या प्रयोजनार्थ शहरांच्या वर्गीकरणातून वगळलेले असले आणि त्यांना घरभाडे भत्त्याच्या प्रयोजनार्थ नव्या वर्गीकरणानुसार निम्न वर्गीकरण प्राप्त झाले असले तरीही त्या शहरातील कर्मचाऱ्यांना विद्यमान (जुन्या) वर्गीकरणानुसार सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता आणि घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय राहिल.

४. या आदेशांच्या प्रयोजनार्थ " वेतन " म्हणजे सुधारित वेतनश्रेणीतील मूळवेतन, ज्यामध्ये कुंठीत वेतनवाढ/ढीचाही समावेश असेल. परंतु जे कर्मचारी असुधारीत वेतनश्रेणीमध्ये वेतन घेतील, त्यांच्याबाबतीत स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्त्याची रक्कम परिगणित करताना त्यांचे असुधारीत वेतनश्रेणीतील मूळ वेतन, असल्यास कुंठीत वेतनवाढी व त्यावर दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्ता आणि अंतरिम वाढ १ व २ मिळून होणारी एकूण रक्कम विचारात घेण्यात यावी.

५. स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्त्याच्या अनुज्ञेयते संबंधीच्या विद्यमान आदेशातील इतर सर्व तरतूदी व अटीं जशाच्या तशा लागू राहतील.

६. दिनांक १ जानेवारी १९९६ ते ३० सप्टेंबर १९९८ पर्यंतच्या कालावधीत उपरोक्त भत्ते सुधारणापूर्व वेतन श्रेणीतील काल्पनिक वेतनावर विद्यमान दराने अनुज्ञेय राहतील. म्हणजेच या कालावधीतील या संदर्भातील कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही.

७. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्त्याच्या विद्यमान व सुधारित दरामधील फरकाचा खर्च, " मागणी क्रमांक जी-८-२०७०, इतर प्रशासनिक सेवा-८०० इतर खर्च–(सहा) वेतन, घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता यांच्यात सुधारणा झाल्यामुळे त्यासाठीची ठोक तरतूद " या शीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा.

अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाचा खर्च खर्ची घालण्यात येतो त्या उपलेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा.

८. ह्या आदेशाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**(श. वि. लागवणकर)**
उप सचिव, वित्त विभाग.

प्रति,

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई.
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर.
महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई.
महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर.
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई.
सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे रिसर्च युनीट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), खोली क्र. २६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली.
राज्यपालांचे सचिव.
मुख्य मंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव.
उप मुख्य मंत्र्यांचे सचिव.
सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक.
मंत्रालयीन सर्व विभाग.
सर्व विभागीय आयुक्त.
मंत्रालयाच्या सर्व विभागांखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख.
*प्रबंधक, उच्च न्यायालय(मूळ शाखा), मुंबई.
*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई.
*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.
*सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
*प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई.
*सहसंचालक, ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट, मुंबई.
शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२० प्रती).
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२० प्रती).
नगरविकास विभाग, यूडी-१०, मंत्रालय, मुंबई (२० प्रती).
कृषि व पशुसंवर्धन. दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग (२० प्रती).
आदिवासी विकास विभाग (२० प्रती).
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधि हिशेब, मुंबई.
उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधि हिशेब, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती.
जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधि हिशेब, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर.
जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधि हिशेब, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी.
जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई.
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी.
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (२५ प्रती).
उच्च शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (२५ प्रती).
कला संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (४० प्रती).
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (१०० प्रती).
संचालक, तांत्रिक प्रशिक्षण, द्वारा---तंत्र शिक्षण संचालक, मुंबई (२५० प्रती).
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक (प्रत्येकी १० प्रती).
सर्व विभागीय तंत्र शिक्षण उप संचालक (प्रत्येकी १० प्रती).
सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी.
आयुक्त, महानगरपालिका, नागपूर.
प्रशासकीय अधिकारी, पश्चिम महाराष्ट्रातील नगरपालिका शिक्षण मंडळे (पुणे/कोल्हापूर/सोलापूर या महानगरपालिकांची शिक्षण मंडळे यांसह).
मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका.
कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहू रोड/देवळाली/अहमदनगर.
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
संचालक, आदिवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक (१० प्रती).
संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रती).
संचालक, आदिवासी संशोधन व शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक.
सर्व विभागीय समाजकल्याण अधिकारी.
अपर आयुक्त, आदिवासी उपयोजना, नाशिक/नागपूर.
सर्व समाजकल्याण अधिकारी, वर्ग-१.
सर्व आदिवासी कल्याण अधिकारी.
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प.
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर.
कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी.
कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला.
कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी.
कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.
कुलसचिव, पुणे विद्यापीठ, पुणे.
कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर.
कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.
कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.
कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई.
कुलसचिव, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव.
अधीक्षक, वेतन पथक, सर्व जिल्हे.
शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (उत्तर, दक्षिण व पश्चिम विभाग).
सर्व कन्याशाळा निरीक्षिका.
सर्व जिल्ह्यांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग).
शिक्षण अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका.
संचालक, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई.
सर्व प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन.
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने.
निवड फाईल, वित्त विभाग---सेवा-५.

---
*पत्राद्वारे.

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घभाभ-१०९८/प्र. क्र. ८२/९८/सेवा-५,
दिनांक ११ डिसेंबर १९९८ चे सहपत्र

## जोडपत्र-एक

स्थानिक पूरक भत्ता देण्यासाठी वर्ग '' अ-१ '', '' अ '', '' ब-१ '' व '' ब-२ '' शहरे व त्यांच्या नागरी समूह घटक क्षेत्रांची यादी

| शहरांचे वर्गीकरण (१) | शहरांची/नागरी समुहांची नावे (२) | नागरी समूह घटक व त्यात येणारे क्षेत्र (३) |
|---|---|---|
| '' अ-१ '' | मुंबई (ना. स.) . . . . | (१) अंबरनाथ (एम) |
| | | (२) बृहन्मुंबई (महानगरपालिका) |
| | | (३) कल्याण-डोंबिवली (महानगरपालिका) |
| | | (४) मीरा-भाईंदर (एम) |
| | | (५) नवी मुंबई (नवी मुंबई महानगरपालिकेसह) |
| | | (६) ठाणे (महानगरपालिका) |
| | | (७) उल्हासनगर (एम) |
| | | (८) कुळगाव-बदलापूर(एम) |
| '' अ '' | पुणे (ना. स.) . . . . | (१) बोपखेळ (सी.टी.) |
| | | (२) देहू (सी.टी.) |
| | | (३) देहू रोड (छावणी) |
| | | (४) धनकवडी (सी.टी.) |
| | | (५) हडपसर (सी.टी.) |
| | | (६) कालास (सी.टी.) |
| | | (७) किवळे (सी.टी.) |
| | | (८) खडकवासला (सी.टी.) |
| | | (९) खडकी (छावणी) |
| | | (१०) खराडी (सी.टी.) |
| | | (११) लोहगाव (सी.टी.) |
| | | (१२) पिंपरी-चिंचवड (महानगरपालिका) |
| | | (१३) पुणे (महानगरपालिका) |
| | | (१४) पुणे (छावणी) |
| | | (१५) शिवने (सी.टी.) |
| | | (१६) वडगाव बुद्रुक (सी.टी.) |
| | | (१७) वडगाव शेरी (सी.टी.) |
| | | (१८) वारजे (सी.टी.) |
| '' ब-१ '' | नागपूर (ना.स.) . . . . | (१) डिगडोह (सी.टी.) |
| | | (२) नागपूर (महानगरपालिका) |
| | | (३) वाडी (सी.टी.) |
| '' ब-२ '' | औरंगाबाद (ना.स.) . . . . | (१) औरंगाबाद (महानगरपालिका) |
| | | (२) औरंगाबाद (छावणी) |
| | नाशिक (ना.स.) . . . . | (१) एकलहरे (सी.टी.) |
| | | (२) भगूर (एम) |
| | | (३) देवळाली (छावणी) |
| | | (४) नाशिक (महानगरपालिका) |
| | सोलापूर (ना.स.) . . . . | (१) माजरेवाडी (ओ.जी.) |
| | | (२) नेहरुनगर (ओ.जी.) |
| | | (३) सोलापूर (महानगरपालिका) |
| | | (४) सोलापूर (ग्रामीण) (ओ.जी.) |

ना.स.–नागरी समूह
सी.टी.–सेन्सस टाऊन
ओ.जी.–आउट ग्रोथ
एम.–नगरपालिका

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घभाभ-१०९८/प्र. क्र. ८२/९८/सेवा-५,
दिनांक ११ डिसेंबर १९९८ चे सहपत्र

## जोडपत्र-दोन

घरभाडे भत्ता देण्यासाठी वर्ग " अ-१ ", " अ ", " ब-१ " व " ब-२ " आणि " क " शहरे व गावे व त्यांच्या नागरी समूह घटक क्षेत्रांची यादी

| शहरांचे वर्गीकरण (१) | शहरांची/नागरी समुहांची नावे (२) | नागरी समूह घटक व त्यात येणारे क्षेत्र (३) |
|---|---|---|
| " अ-१ " | मुंबई (ना. स.) . . . . | (१) अंबरनाथ (एम) |
| | | (२) बृहन्मुंबई (महानगरपालिका) |
| | | (३) कल्याण-डोंबिवली (महानगरपालिका) |
| | | (४) मीरा-भाईंदर (एम) |
| | | (५) नवी मुंबई (नवी मुंबई महानगरपालिकेसह) |
| | | (६) ठाणे (महानगरपालिका) |
| | | (७) उल्हासनगर (एम) |
| | | (८) कुळगाव-बदलापूर (एम) |
| " अ " | ——— | ——— |
| " ब-१ " | पुणे (ना. स.) . . . . | (१) बोपखेळ (सी.टी.) |
| | | (२) देहू (सी.टी.) |
| | | (३) देहू रोड (छावणी) |
| | | (४) धनकवडी (सी.टी.) |
| | | (५) हडपसर (सी.टी.) |
| | | (६) कालास (सी.टी.) |
| | | (७) किवळे (सी.टी.) |
| | | (८) खडकवासला (सी.टी.) |
| | | (९) खडकी (छावणी) |
| | | (१०) खराडी (सी.टी.) |
| | | (११) लोहगाव (सी.टी.) |
| | | (१२) पिंपरी-चिंचवड (महानगरपालिका) |
| | | (१३) पुणे (महानगरपालिका) |
| | | (१४) पुणे (छावणी) |
| | | (१५) शिवने (सी.टी.) |
| | | (१६) वडगाव बुद्रुक (सी.टी.) |
| | | (१७) वडगाव शेरी (सी.टी.) |
| | | (१८) वारजे (सी.टी.) |
| | नागपूर (ना.स.) . . . . | (१) डिगडोह (सी.टी.) |
| | | (२) नागपूर (महानगरपालिका) |
| | | (३) वाडी (सी.टी.) |
| " ब-२ " | औरंगाबाद (ना.स.) . . . . | (१) औरंगाबाद (महानगरपालिका) |
| | | (२) औरंगाबाद (छावणी) |
| | नाशिक (ना.स.) . . . . | (१) एकलहरे (सी.टी.) |
| | | (२) भगूर (एम) |
| | | (३) देवळाली (छावणी) |
| | | (४) नाशिक (महानगरपालिका) |
| | सोलापूर (ना.स.) . . . . | (१) माजरेवाडी (ओ.जी.) |
| | | (२) नेहरुनगर (ओ.जी.) |
| | | (३) सोलापूर (महानगरपालिका) |
| | | (४) सोलापूर (ग्रामीण) (ओ.जी.) |
| " क " | (१) भिवंडी (ना.स.) . . . . | (१) भिवंडी (एम.) |
| | | (२) खोनी (सी.टी.) |

| शहरांचे वर्गीकरण (१) | शहरांची/नागरी समुहांची नावे (२) | नागरी समुह घटक व त्यात येणारे क्षेत्र (३) |
|---|---|---|
| | (२) भुसावळ (ना.स.) . . . . | (१) भुसावळ (एम)<br>(२) कंदारी (सी.टी.) |
| | (३) श्रीरामपूर (ना.स.). . . . | (१) श्रीरामपूर (एम)<br>(२) श्रीरामपूर (ग्रामीण) (सी.टी.) |
| | (४) अहमदनगर (ना.स.) . . | (१) अहमदनगर (एम)<br>(२) अहमदनगर (छावणी) |
| | (५) इचलकरंजी (ना.स.) . . | (१) इचलकरंजी (एम)<br>(२) कबनूर (सी.टी.) |
| | (६) नांदेड (ना.स.) . . . . | (१) नांदेड (एम)<br>(२) वाघळा (एम) |
| | (७) सांगली (ना.स.) . . . . | (१) कुपवाड (ओ.जी.)<br>(२) माधवनगर (सी.टी.)<br>(३) सांगली (महानगरपालिका)<br>(४) मिरज (एम)<br>(५) वानलेसवाडी (ओ.जी.) |
| | (८) यवतमाळ (ना.स.) . . | (१) उमरसरा (सी.टी.)<br>(२) यवतमाळ (एम) |
| | (९) कामठी (ना.स.) . . . . | (१) कामठी (एम)<br>(२) कामठी (छावणी)<br>(३) कन्हान पिंपरी (सी.टी.)<br>(४) कान्द्री (सी.टी.)<br>(५) टेकाड (सी.टी.) |
| | (१०) बल्लारपूर (ना.स.) . . | (१) बल्लारपूर (एम)<br>(२) विसापूर (सी.टी.) |
| | (११) कोल्हापूर (ना.स.) . . | (१) गांधीनगर (सी.टी.)<br>(२) कोल्हापूर (महानगरपालीका) |
| | अकोला, वाशिम, बीड, बुलढाणा, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावती (महानगरपालिका), धुळे, गडचिरोली, जालना, जळगाव, लातूर, परभणी, रत्नागिरी, रायगड (अलिबाग), सातारा, सिंधुदुर्ग (ओरोस), वर्धा, उस्मानाबाद, अचलपूर, अकोट, अंमळनेर, अंबेजोगाई, बार्शी, चाळीसगाव, गोंदीया, हिंगणघाट, हिंगोली, कराड, खामगाव, मनमाड, मलकापूर, मालेगाव, नंदूरबार, नालासोपारा, परळी, पुसद, पंढरपूर, उदगीर, विरार. | |

ना.स.–नागरी समूह
सी.टी.–सेन्सस टाऊन

ओ.जी.–आउट ग्रोथ
एम.–नगरपालिका

e9

**Grant of Compensatery Local Allowance and House Rent Allowance at revised rates to State Government employees and others.**

Government of Maharashtra

**Finance Department**

Resolution No. घमाभ-1098/CR-82/98/SER-5

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 11th December 1998

*Read* :—(1) Government Resolution, Finance Department, No. RPS-1287/643/SER-10, dated 25th April,1988.

(2) Government Resolution, Finance Department, No. घमाभ-1090/CR-10/SER-5, dated 5th February, 1990.

(3) Government Resolution, Finance Department, No. घमाभ-1093/76/SER-5, dated 2nd September, 1993.

(4) Government Corrigendum, Finance Department, No. घमाभ-1093/CR-161/SER-5, dated 11th Decemper, 1993.

(5) Government Corrigendum Finance Department, No. घमाभ-1095/61/95, dated 8th November, 1995.

(6) Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure), Office Memorandum, No. 2(30)/97-E-II (B), dated 3rd October, 1997.

**GOVERNMENT RESOLUTION**

Consequent upon the recommendations of the Fifth Central Pay Commission, Government of India have revised the rates of Compensatory (City) Allowance and House Rent Allowance admissible to its employees under the orders dated the 3rd October, 1997 referred to at Serial No. 6 above. The question of revising the rates of Compensatory Local Allowance and House Rent Allowance admissible to State Government employees and others on the same lines was under consideration of Government for some time past.

2. Government is now pleased to direct that the rates of Compensatory Local Allowance and House Rent Allowance admissible to State Government employees and others should be revised **with effect from 1st October 1998** as shown below :—

TABLE-I

**Compensatory Local Allowance**

| Serial No. | Pay Range (Basic Pay) | Amount of CLA in class of Cities (Rs. per month) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A-1 | A | B-1 | B-2 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Below Rs. 3000 p.m. ... | 90 | 65 | 45 | 25 |
| 2 | Rs. 3000 p.m. to Rs. 4499 p.m. ... | 125 | 95 | 65 | 35 |
| 3 | Rs. 4500 p.m. to Rs. 5999 p.m. ... | 200 | 150 | 100 | 65 |
| 4 | Rs. 6000 p.m. and above ... | 300 | 240 | 180 | 120 |

*Note* : The list of cities and towns in the State as A-1, A, B-1 and B-2 for the purpose of CLA is given in Annexure-I accompanying this Government Resolution.

## TABLE-II

### House Rent Allowance

| Serial No. (1) | Classification of Cities/towns (2) | Rates of House Rent Allowance (Rs. per month) (3) |
|---|---|---|
| 1 | A-1 ... ... ... ... | 30 per cent of actual basic pay drawn. |
| 2 | A<br>B-1 ... ... ... ...<br>B-2 | 15 per cent of actual basic pay drawn. |
| 3 | C ... ... ... ... | 7.5 per cent of actual basic pay drawn. |
| 4 | Unclassified ... ... ... | 5 per cent of actual basic pay drawn. |

*Note* : The list of cities and towns classified as A-1, A, B-1, B-2 and C for the purpose of House Rent Allowance is given in the Annexure-II accompanying this Government Resolution.

3. The cities and towns which have been placed in a lower classification in the above mentioned lists, as compared to their existing (old) classification, shall continue to retain the existing classification until further orders and the State Government employees and others working therein will be entitled to draw the rates of CLA and HRA accordingly. For Examples, though Kolhapur and Amravati have been omitted from the classification of cities for the purpose of Compansatory Local Allowance and have attained lower classification as per new classification for the purpose of House Rent Allowance, the employees working in these cities will be entitled to draw CLA and HRA at revised rates as per existing (old) classification.

4. Pay for the purpose of these orders, will be the pay drawn in the revised scale of pay including stagnation increment(s), but in case of those employees who opt to retain the existing scales of pay, the amount of CLA and HRA will be admissible on the sum of the pay in the prerevised scales of pay including stagnation increments, if any and the dearness allowance admissible on 1st January 1996 thereon and interim reliefs one and two.

5. All other provisions and conditions governing grant of CLA and HRA under existing orders shall continue to apply.

6. For the period from 1st January 1996 to 30th September 1998 the above allowances will be drawn at the existing rates on the notional pay in the prerevised scale. In other words, no payment of arrears in this respect will be admissible.

7. The expenditure on account of difference between the existing and revised rates of CLA and HRA in respect of Government servants should be debited to "Demand No. G-8-2070, Other Administrative Services-800, Other Expenditure-(VI) Lumpsum provision on account of revision of pay, house rent allowance and compensatory local allowance".

In respect of employees of aided institutions and Zilla Parishads, the expenditure should be debited to the sub-heads of accounts under the respective major heads to which expenditure on grant-in-aid to them is debited.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

**(S. V. Lagwankar)**
Deputy Secretary to Government.

Accompaniment to Government Resolution, Finance Department, No. घमाभ 1098/C.R.-82/98/SER-5, dated 11th December, 1998

## Annexure I

A list of "A-1", "A", "B-1" and "B-2" class cities and their Urban Agglomeration constituent units for the purpose of drawal of Compensatory Local Allowance.

| Classification of Cities. | Name of City/ Urban Agglomeration | Constituent units of agglomeration |
|---|---|---|
| "A-1" | Mumbai (U.A.) ... | (1) Ambarnath (M) |
| | | (2) Brihan Mumbai (Municipal Corporation) |
| | | (3) Kalyan-Dombivali (Municipal Corporation) |
| | | (4) Mira-Bhayandar (M) |
| | | (5) Navi Mumbai (Including Navi Mumbai Municipal Corporation). |
| | | (6) Thane (Municipal Corporation) |
| | | (7) Ulhasnagar (M) |
| | | (8) Kulgaon-Badalapur (M) |
| "A" | Pune (U.A.) ... | (1) Bopkhel (C.T.) |
| | | (2) Dehu (C.T.) |
| | | (3) Dehu Road (Cantonment) |
| | | (4) Dhankawadi (C.T.) |
| | | (5) Hadapsar (C.T.) |
| | | (6) Kalas (C.T.) |
| | | (7) Kivale (C.T.) |
| | | (8) Khadakvasala (C.T.) |
| | | (9) Kirkee (Cantonment) |
| | | (10) Kharadi (C.T.) |
| | | (11) Lohagaon (C.T.) |
| | | (12) Pimpari-Chinchwad (Municipal Corporation) |
| | | (13) Pune (Municipal Corporation) |
| | | (14) Pune (Cantonment) |
| | | (15) Shivane (C.T.) |
| | | (16) Vadgaon Bk (C.T.) |
| | | (17) Vadgaon Sheri (C.T.) |
| | | (18) Warje (C.T.) |
| "B-1" | Nagpur (U.A.) ... | (1) Digdoh (C.T.) |
| | | (2) Nagpur (Municipal Corporation) |
| | | (3) Wadi (C.T.) |
| "B-2" | Aurangabad (U.A.) ... | (1) Aurangabad (Municipal Corporation) |
| | | (2) Aurangabad (Cantonment) |
| | Nashik (U.A.) ... | (1) Eklahare (C.T.) |
| | | (2) Bhagur (M) |
| | | (3) Deolali (Cantonment) |
| | | (4) Nashik (Municipal Corporation) |
| | Solapur (U.A.) ... | (1) Majarewadi (O.G.) |
| | | (2) Nehrunagar (O.G.) |
| | | (3) Solapur (Municipal Corporation) |
| | | (4) Solapur (Rural) (O.G.) |

U.A.—Urban Agglomeration Unit. M.—Municipal area.
O.G.—Out Growth C.T.—Census Town.

Accompaniment to Government Resolution, Finance Department,
No. घभाभ 1098/C.R.-82/98/SER-5, dated 11th December, 1998

## Annexure II

A list of " A-1", " A ", " B-1 ", " B-2 " and " C " class cities and their Urban Agglomeration constituent units for the purpose of drawal of House Rent Allowance.

| Classification of Cities. | Name of City/ Urban Agglomeration | | Constituent units of agglomeration |
|---|---|---|---|
| " A-1 " | Mumbai (U.A.) | ... | (1) Ambarnath (M) |
| | | | (2) Brihan Mumbai (Municipal Corporation) |
| | | | (3) Kalyan-Dombivali (Municipal Corporation) |
| | | | (4) Mira-Bhayandar (M) |
| | | | (5) Navi Mumbai (Including Navi Mumbai Municipal Corporation). |
| | | | (6) Thane (Municipal Corporation) |
| | | | (7) Ulhasnagar (M) |
| | | | (8) Kulgaon-Badalapur (M) |
| A | — | | — |
| " B-1 " | Pune (U.A.) | ... | (1) Bopkhel (C.T.) |
| | | | (2) Dehu (C.T.) |
| | | | (3) Dehu Road (Cantonment) |
| | | | (4) Dhankawadi (C.T.) |
| | | | (5) Hadapsar (C.T.) |
| | | | (6) Kalas (C.T.) |
| | | | (7) Kivale (C.T.) |
| | | | (8) Khadakvasala (C.T.) |
| | | | (9) Kirkee (Cantonment) |
| | | | (10) Kharadi (C.T.) |
| | | | (11) Lohagaon (C.T.) |
| | | | (12) Pimpari-Chinchwad (Municipal Corporation) |
| | | | (13) Pune (Municipal Corporation) |
| | | | (14) Pune (Cantonment) |
| | | | (15) Shivane (C.T.) |
| | | | (16) Vadgaon Bk (C.T.) |
| | | | (17) Vadgaon Sheri (C.T.) |
| | | | (18) Warje (C.T.) |
| | Nagpur (U.A.) | ... | (1) Digdoh (C.T.) |
| | | | (2) Nagpur (Municipal Corporation) |
| | | | (3) Wadi (C.T.) |
| " B-2 " | Aurangabad (U.A.) | ... | (1) Aurangabad (Municipal Corporation) |
| | | | (2) Aurangabad (Cantonment) |
| | Nashik (U.A.) | ... | (1) Eklahare (C.T.) |
| | | | (2) Bhagur (M) |
| | | | (3) Deolali (Cantonment) |
| | | | (4) Nashik (Municipal Corporation) |
| | Solapur (U.A.) | ... | (1) Majarewadi (O.G.) |
| | | | (2) Nehrunagar (O.G.) |
| | | | (3) Solapur (Municipal Corporation) |
| | | | (4) Solapur (Rural) (O.G.) |

| Classification of Cities. | Name of City/ Urban Agglomeration | Constituent units of agglomeration |
|---|---|---|
| "C" | 1. Bhiwandi (U.A.) ... | (1) Bhiwandi (M) |
| | | (2) Khoni (C.T.) |
| | 2. Bhusawal (U.A.) ... | (1) Bhusawal (M) |
| | | (2) Kandari (C.T.) |
| | 3. Shrirampur (U.A.) ... | (1) Shrirampur (M) |
| | | (2) Shrirampur (Rural) (C.T.) |
| | 4. Ahmadnagar (U.A.) ... | (1) Ahmadnagar (M) |
| | | (2) Ahmadnagar (Cantonment) |
| | 5. Ichalkaranji (U.A.) ... | (1) Ichalkaranji (M) |
| | | (2) Kobnur (C.T.) |
| | 6. Nanded (U.A.) ... | (1) Nanded (M) |
| | | (2) Waghala (M) |
| | 7. Sangali (U.A.) ... | (1) Kupvad (O.G.) |
| | | (2) Madhavnagar (C.T.) |
| | | (3) Sangli (Municipal Corporation) |
| | | (4) Miraj (M) |
| | | (5) Vanleswadi (O.G.) |
| | 8. Yavatmal (U.A.) ... | (1) Umarsara (C.T.) |
| | | (2) Yavatmal (M) |
| | 9. Kamptee (U.A.) ... | (1) Kamptee (M) |
| | | (2) Kamptee (Cantonment) |
| | | (3) Kanhan Pimpari (C.T.) |
| | | (4) Kandri (C.T.) |
| | | (5) Tekad (C.T.) |
| | 10. Ballarpur (U.A.) ... | (1) Ballarpur (M) |
| | | (2) Visapur (C.T.) |
| | 11. Kolhapur (U.A.) ... | (1) Gandhinagar (C.T.) |
| | | (2) Kolhapur (Municipal Corporation) |
| | Akola, Vashim, Beed, Buldhana, Bhandara, Chandrapur, Amravati (Municipal Corporation), Dhule, Gadchiroli, Jalna, Jalgaon, Latur, Parbhani, Ratnagiri, Raigad (Alibag), Satara, Sindhudurg (Oros), Vardha, Osmanabad, Achalpur, Akot, Amalner, Ambejogai, Barshi, Chalisgaon, Gondia, Hinganghat, Hingoli, Karad, Khamgaon, Manmad, Malakapur, Malegaon, Nandurbar, Nalasopara, Parali, Pusad, Pandharpur, Udgir, Virar. | |

U.A.—Urban Agglomeration Unit
O.G.—Out Growth
M.—Municipal area.
C.T.—Census Town.